स्वास्थ्य सेवाओं में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन : संचालन एवं उपयोग

मार्च 2019

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

(आस्था की इकाई)

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन/फैक्स : (0141) 2385254

E-mail : barcjaipur@gmail.com • Website : www.barcjaipur.org.

परिचय

प्रस्तुत प्रपत्र राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बजट एवं गैर बजट संसाधनों की राशि तथा उनके उपयोग के बारे में बताता है। राज्य में प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा के ढ़ांचे में तीन तरह के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों/ संस्थानों को शामिल किया गया है। निम्न तालिका में दर्शायी गयी आबादी के अनुसार विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान है। स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रोगी कल्याण समिति (आर.एम.आर. एस.) और ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं पेयजल समिति (वी.एच.एन.एच.सी.) की स्थापना का प्रावधान है।

तालिका 1: आबादी के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु मानक

आबादी	स्वास्थ्य केन्द्र
3000–5000	उप–स्वास्थ्य केन्द्र
20,000–30,000	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
80,000–1,20,000	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
	जिला स्वास्थ्य केन्द्र
	मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

स्रोत: भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS), 2012

इस प्रपत्र में ब्लॉक एवं निम्न स्तर पर सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और समितियों को आवंटित होने वाले निर्बन्ध संसाधनों (अनटाईड फण्ड) का विवरण दिया गया है जिन पर मुख्य रुप से समितियों के माध्यम से स्थानीय् समुदाय का नियंत्रण रहता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि इन संसाधनों का उपयोग किन–किन कार्यों के लिए किया जा सकता है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र

यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और प्राथमिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच एक कड़ी का काम करता है जो कि माँ और शिशु के स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, परिवार कल्याण, पोषण और संक्रमणीय बीमारियों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करता है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध निर्बन्ध (अनटाईड) राशि: प्रत्येक उप केंद्र को प्रति वर्ष अधिकतम 18,500 रू. अनटाईड फण्ड के रूप में प्रदान किये जाते हैं जो एएनएम और सरपंच के संयुक्त खाते में रहते हैं।

निर्णयकर्ता: अनटाईड फण्ड की राशि उप स्वास्थ्य केन्द्रों में किन कार्यों के लिए व कितनी राशि खर्च की जाएगी, इसका निर्णय ए. एन.एम और सरपंच द्वारा किया जाता है।

निर्बन्ध (अनटाईड) राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है:

- उप स्वास्थ्य केंद्रों के रख–रखाव संबंधी कार्यों के लिए :–
  - पानी एवं बिजली की व्यवस्था तथा उनके बिलों के भुगतान हेतु।
  - लघु निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य जैसे :– नल–बिजली फिटिंग, बिजली की टूटी–फूटी वायरिंग तथा पानी निकासी के लिए नाली को ठीक करना।
  - खिड़की व दरवाजे आदि के टूटे हुए कांचों को बदलने, दीवारों एवं छतों का सुधार, खिड़की व दरवाजों के लिए पर्दे, रंग–रोगन के लिए।
  - वृक्षारोपण।
  - मरीजों के बैठने के लिए चबूतरा निर्माण इत्यादि।
- महिला मरीज़ों की जाँच के लिए निजता (Privacy) की व्यवस्था, आवश्यक उपकरण एवं दवाईयों हेतु।
- रेफरल केंद्र तक गंभीर मरीजों को ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था करने हेतु।
- मरीजों व अन्य लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य कल्याण के लिए शुरू किये गए कार्यक्रम संबंधी व अन्य जानकारी देने के लिए उप–स्वास्थ्य केंद्र भवन में वॉल पेटिंग हेतु।
- अतिविशिष्ट कार्य करने पर आशा को पुरस्कार देने के लिए।
- मरीज़ों के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु केम्पर/मटके खरीदने के लिए, अंडर ग्राउन्ड पानी का टैंक बनवाकर आधा हॉर्सपॉवर की मोटर लगवाने तथा पानी का टैंकर मंगवाने के लिए।
- जांच –शिविरों का आयोजन करने के लिए।
- आई.यू.डी. इन्सर्शन कैम्प की व्यवस्था, परिवार कल्याण के प्रचार–प्रसार एवं आई.ई.सी के लिए।
- केंद्र की साफ–सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर व कीटाणुनाशक बाल्टी, मग, कचरापात्र व घड़ी आदि हेतु।

अनटाईड राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है:

- वाहन क्रय।
- ग्राम पंचायत सम्बन्धी अन्य खर्चों हेतु।
- कर्मचारियों की तनख्वाह का भुगतान।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीज़ों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ 6 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में भी कार्य करता है। यह गंभीर मामलों को जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उच्च सार्वजनिक अस्पताल में भेजता (Refer) है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध निर्बन्ध (अनटाईड) राशि : प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रतिवर्ष न्यूनतम 87,500 रू. अनटाईड फण्ड के रूप में प्रदान किये जाते हैं। इससे अधिक राशि रोगी–भार के अनुसार आंवटित की जा सकती है।

निर्णयकर्ता : निर्बन्ध (अनटाईड) राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में किन कार्यों के लिए व कितनी खर्च की जाएगी, इसका निर्णय सेक्टर सभा (Sector Meeting) के दौरान लिया जाता है। सेक्टर सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) विभिन मामलों पर चर्चा करते हैं।

निर्बन्ध (अनटाईड) राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है:

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रख–रखाव संबंधि कार्यों के लिए :–
  - पानी एवं बिजली की व्यवस्था तथा उनके बिलों के भुगतान हेतु।
  - लघु निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य जैसे–नल–बिजली फिटिंग, बिजली की टूटी–फूटी वायरिंग तथा नालों को ठीक करना।
  - खिड़की व दरवाजे आदि के टूटे हुए कांचों को बदलने, दीवारों एवं छतों का सुधार, रंग–रोगन के लिए।
  - वृक्षारोपण।
  - मरीजों के बैठने के लिए चबूतरा निर्माण इत्यादि।
- महिला मरीजों की जांच के लिए निजता (Privacy) की व्यवस्था हेतु।
- मरीजों के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु केम्पर/मटके/वाटर कुलर/वाटर प्योरिफायर खरीदने के लिए।
- सामान्य प्रसव कराने के लिए आवश्यक उपकरण एवं दवाइयाँ, परीक्षण टेबल, डिलिवरी टेबल, बी.पी. मापक यंत्र, हिमोग्लोबिनोमीटर, कॉपर–टी इन्सर्शन किट, इंस्ट्रूमेंट ट्रे, बेबी ट्रे, वैट मशीन, ड्रेसिंग ड्रम, प्लास्टिक रबर शीट, स्टेथोस्कोप, बाल्टी, अटेंडेंट स्टूल, ड्रेसिंग का सामान आदि खरीदना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों, ट्रॉली, पलंग, अटेंडेंट स्टूल तथा अन्य फर्नीचर के मरम्मत एवं केंद्र की सफाई व्यवस्था के लिए।
- रेफरल केंद्र तक गंभीर मरीज़ों को ले जाने हेतु वाहन व्यवस्था के लिए।
- मरीज़ों व अन्य लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य कल्याण के लिए शुरू किये गए कार्यक्रमों से सम्बंधित जानकारी देने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में वॉल पेंटिंग करवाना।
- अतिविशिष्ट कार्य करने पर आशा को पुरस्कार देने के लिए।
- जांच–शिविरों का आयोजन करने के लिए।
- आई.यू.डी.(I.U.D.) इन्सर्शन कैम्प की आवश्यक व्यवस्था, परिवार कल्याण के प्रचार–प्रसार एवं आई.ई.सी के लिए, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (Village Health and Nutrition Day) के दिन ड्रम बिटिंग के लिए प्रत्येक उप–स्वास्थ्य केन्द्र को 100 रु. की राशि दी जाती है।
- केंद्र की साफ–सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर व कीटाणुनाशक बाल्टी, मग, कचरापात्र व घड़ी आदि की व्यवस्था हेतु।

अनटाईड राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है:

- वाहन क्रय।
- प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री, अखबार/मैगज़ीन/जर्नल में विज्ञापन आदि के लिये।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Basic Minimum Services) के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। यह एक रेफरल इकाई की तरह काम करता है जहाँ निचले स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों से गंभीर मामलों को भेजा जाता (Refer) है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध निर्बन्ध (अनटाईड) राशि: प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रति वर्ष न्यूनतम 2,50,000 रू. अनटाईड फण्ड के रूप में प्रदान किये जाते हैं।

निर्णयकर्ता :– अनटाईड फण्ड की राशि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किन कार्यों के लिए व कितनी खर्च की जाएगी, इसका निर्णय रोगी कल्याण समिति द्वारा किया जाता है।

निर्बन्ध (अनटाईड) राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है

- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रख–रखाव संबंधी कार्यों के लिए :–
  - ➢ पानी, बिजली व्यवस्था तथा उनके बिलों के भुगतान हेतु।
  - ➢ लघु निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य जैसे :– नल–बिजली फिटिंग, बिजली की टूटी–फूटी वायरिंग तथा नालों को ठीक करना।
  - ➢ खिड़कियों व दरवाजों के टूटे हुए कांचों को बदलने, दीवारों एवं छतों का सुधार एवं रंगरोगन हेतु।
  - ➢ वृक्षारोपण।
  - ➢ मरीज़ों के बैठने के लिए चबूतरा निर्माण इत्यादि।
  - ➢ महिला मरीज़ों की जॉच के लिए निजता (Privacy) की व्यवस्था हेतु।
- मरीज़ों के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु केम्पर/मटके/वाटर कुलर/वाटर प्योरिफायर खरीदने के लिए।
- सामान्य प्रसव कराने के लिए आवश्यक उपकरण एवं दवाइयाँ, परीक्षण टेबल, डिलिवरी टेबल, बी.पी. मापक यंत्र, हिमोग्लोबिनोमीटर, कॉपर–टी इन्सर्शन किट, इंस्ट्रूमेंट ट्रे, बेबी ट्रे, वैट मशीन, ड्रेसिंग ड्रम, प्लास्टिक रबर शीट, स्टेथोस्कोप, बाल्टी, अटेंडेंट स्टूल, ड्रेसिंग का सामान आदि खरीदना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों, ट्रॉली, पलंग, अटेंडेंट स्टूल एवं अन्य फर्नीचर की मरम्मत तथा केंद्र की सफाई व्यवस्था हेतु।
- मरीज़ों व अन्य लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य कल्याण के लिए शुरू किये गए कार्यक्रमों से सम्बंधित जानकारी देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में वॉल पेंटिंग करवाना।
- गंभीर मरीज़ों को जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने हेतु वाहन व्यवस्था के लिए। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने स्तर पर वाहन दर तय करके अपने सम्बंधित राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसाइटी (R.M.R.S.) द्वारा इसको स्वीकृत करवाता है।
- क्षेत्र में अचानक होने वाली बीमारी के प्रकोप के दौरान दवा उपलब्ध करवाने, एन्टी रैबिज खरीदने, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, आई.यू.डी. (I.U.D.) इन्सर्शन कैम्प की व्यवस्था, परिवार कल्याण के प्रचार–प्रसार एवं आई.ई.सी. (I.E.C.) सामग्री के लिए।
- केंद्र की साफ–सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर व कीटाणुनाशक बाल्टी, मग, कचरापात्र व घड़ी आदि की व्यवस्था हेतु।

अनटाईड राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है:

- वाहन क्रय
- प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री, अखबार/मैगजीन/जर्नल में विज्ञापन आदि।

रोगी कल्याण समिति

स्वास्थ्य केन्द्रों से संबंद्ध रोगी कल्याण समिति, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए एवं राशि/फण्ड में बढ़ोत्तरी व उनका उपयोग करने के लिए स्वायत्तशासी संस्था है। इस समिति के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, अनाथ, लावारिस, विधवा, कैदी व 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क/कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। इस समिति का कार्यक्षेत्र उस चिकित्सालय या औषधालय तक होगा जिसके लिये यह समिति बनाई गई है। समिति की आय व व्यय का पृथक लेखा–जोखा रखा जाता है तथा राष्ट्रीय बैंक में समिति के नाम से बैंक खाता खोलने की व्यवस्था की हुई है। विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों में इस समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के तौर पर संबंधित स्तर (संभाग, जिला एवं ब्लॉक) के प्रशासनिक अधिकारियों को मनोनीत करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त समिति के सदस्यों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, दानदाताओं एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने का प्रावधान है।

उद्देश्य:

- ➢ चिकित्सालय के विकास के साथ–साथ सभी रोग उन्मुख सेवाओं को सुदृढ़ एवं विकसित करना।
- ➢ चिकित्सालय के माध्यम से रोगियों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की जांच सुविधाएं, दवाइयाँ एवं आवश्यकता अनुसार अन्य सामग्री उपलब्ध करवाना।
- ➢ अस्पताल भवन की साफ–सफाई, शौचालय का रख–रखाव, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं जैसे–मरम्मत, रंग–रोगन, पानी, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ➢ आपातकालीन स्थितियों जैसे महामारी आदि में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।

राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (उपयोग शुल्क (गैर बजट): राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एक स्वायत्तशाषी (Autonomous) संस्था होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजकीय चिकित्सालयों के माध्यम से राज्य की जनता को सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सोसायटी के माध्यम से वंचित वर्ग एवं विशेष श्रेणी के रोगियों को निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। विभाग के अधीनस्थ संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों यथा जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सामान्य चिकित्सालय, सैटेलाइट चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कार्यरत है। सोसायटी द्वारा सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ–साथ चिकित्सालय के विकास एवं अन्य रोगी उन्मुख सेवाओं का भी ध्यान रखा जाता है।

इस योजना की सफलता एवं उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों का गठन किया गया है। विभाग के अधीनस्थ सभी चिकित्सा संस्थाओं में इस सोसायटी का नाम राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी होता है लेकिन यह सोसायटी जिस चिकित्सालय में संचालित होगी उस चिकित्सालय का नाम साथ में लिखा जाता है।

सोसायटी का उद्देश्य:

- चिकित्सालय के विकास के साथ सभी रोग उन्मुख सेवाओं को सुदृढ़ एवं विकसित कराना।
- चिकित्सालय के माध्यम से रोगियों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की जाँच सुविधाएं, दवाइयां एवं आवश्यकतानुसार अन्य समग्री उपलब्ध कराना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनाथ, लावारिश, विधवा, मेहरानगढ़ दुखांतिका दुर्घटनाग्रस्त, हिमोफिलिया, थैलीसिमिया, पेंशनर्स व 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- अस्पताल भवन परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं अनुबंध आधार पर सुनिश्चित कराना।
- शौचालय एवं मूत्रालय का रख रखाव कराना।
- कोटेज/डी–लक्स/सामान्य वार्ड, साइकिल स्टेंड, कैंटीन एवं धर्मशाला व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना
- आपातकालीन परिस्थतियों– महामारी, आपदा इत्यादि में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना।
- रोगियों की सुविधाओं का विस्तार करना एवं उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु मेडिकेयर ड्रग स्टोर का संचालन कराना।
- अस्पताल भवन, परिसर का रख–रखाव यथा मरम्मत रंग रोगन, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था करवाना।

सोसायटी की कार्यकारिणी: सोसायटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जाता है जिसका स्वरुप चिकित्सालय की बिस्तर संख्या के अनुरूप राज्य के विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों में भिन्न–भिन्न होता है। कार्यकारिणी में तीन पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं कम से कम पांच सदस्य होने का प्रावधान है। राज्य के विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों की कार्यकारिणी का स्वरूप भिन्न–भिन्न होता है। कार्यकारिणी की एक माह में दो बार बैठ़क होना आवश्यक है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठ़क बुलाई जा सकती है लेकिन वर्ष में कम से कम 6 बैठ़क होना आवश्यक है।

सदस्यता के प्रकार: सोसायटी में दो प्रकार के सदस्यों (स्थायी एवं आमंत्रित) का प्रावधान है।

1. **स्थायी सदस्य:** स्थायी सदस्य के रूप में संबंधित विधायकगण, प्रधानगण, सरपंचगण, अध्यक्ष/चैयरमैन/ सभापति, जिला कलैक्टर, उपखण्ड अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी आदि स्थाई सदस्य के रूप में मनोनीत किये जा सकते हैं।
2. **आमंत्रित सदस्य:** आमंत्रित सदस्यों में राजकीय एवं गैर राजकीय दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं :
   - राजकीय सदस्य– राजकीय विभागों, उपक्रमों के अधिकारी व कर्मचारी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इनके मनोनयन व चयन की आवश्यकता नहीं होती है।
   - गैर राजकीय– गणमान्य नागरिक/सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता आदि, अध्यक्ष की अनुशंषा पर निर्देशक के अनुमोदन पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी सदस्यता अधिकतम दो वर्ष की होती है।

वित्तीय नियम (आय एवं प्राप्तियां) : राज्य में विभिन्न स्तर के अस्पतालों द्वारा अलग–अलग सेवाओं हेतु लिये जाने वाले उपयोग शुल्क (User Fees) का प्रबंधन राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (RMRS) द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं हेतु लिये जाने वाले शुल्कों (Fees) से एकत्रित राशि गैर बजट संसाधनों (Off Budget Resources) की तरह ही होती है।

- आउटडोर व इंडोर रोगी पंजीकरण शुल्क, आगंतुक पास शुल्क आदि।

- निशुल्क जाँच योजना के अतिरिक्त संस्थान पर उपलब्ध करायी जाने वाली जांचों के शुल्क आदि।
- विभिन्न सेवाओं जैसे सर्जीकल ऑपरेशन, आई.सी.यू., अनेक प्रकार की थैरेपी एवं अन्य विशिष्ट सेवाओं पर शुल्क।
- कोटेज वार्डस/स्पेशल वार्ड्स/अतिथि गृह/धर्मशाला आदि का किराया।
- मेडिकेयर ड्रग स्टोर/लाइफ लाइन ड्रग स्टोर से प्राप्त संविदा राशि।
- साइकिल स्टेण्ड, केन्टीन, एस.टी.डी. बूथ आदि से संविदा राशि।
- दुकानों, ऑडिटोरियम व अन्य परिसम्पतियों का किराया।
- आरएमआरएस की विभिन्न जमाओं पर ब्याज।
- संविदा फार्म विक्रय राशि, जब्त की गई बयाना राशि (EMD) एवं सुरक्षा राशि।

सोसायटी द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग: इस राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जा सकता है:

- विभिन्न जाँचों हेतु सामग्री, आपातकालीन परिस्थितियों हेतु दवा एवं अन्य आवश्यक सामग्री क्रय करने तथा केमिकल्स, एक्स–रे, सी.टी. स्केन, सोनोग्राफी फिल्म्स एवं मशीनों तथा उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव आदि पर व्यय।
- विभिन्न रोगी सेवाओं जैसे ट्रोली सेवा, सुरक्षा व सफाई आदि की संविदा पर राज्य सरकार से प्राप्त राशि के अतिरिक्त व्यय।
- नए उपकरणों एवं मशीन की खरीद एवं बिजली पानी आदि पर राज्य सरकार से प्राप्त राशि के अतिरिक्त व्यय।
- चिकित्सालय हेतु फर्नीचर (पलंग, लोकर आदि), एयरकंडीशनर्स, कूलर, पंखों आदि की खरीद एवं रखरखाव।
- अतिथि भवन, ओडीटोरियम, रेन बसेरा, धर्मशाला आदि के भवन, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री का क्रय एवं रखरखाव, चिकित्सालय भवन की मरम्मत, रंग रोगन व रखरखाव।
- सोसायटी के संचालन हेतु संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान।
- मौसमी बिमारियों, आपदा, दुर्घटना व अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।
- चिकित्सा विशेषज्ञ की अनुपलब्धता अथवा विशेष जाँच सुविधा संस्थान पर उपलब्ध नहीं होने पर विभागीय अनुमति से संविदा आधार पर हायर करना।
- अस्पताल परिसर में नवनिर्माण तथा बगीचे और पेड़ पौधों के रख रखाव पर व्यय, सोसायटी हेतु कार्यालय व्यय, स्टेशनरी एवं डाक व्यय, ऋण भुगतान, टेली सोफ्टवेयर में आरएमआरएस का लेखा संधारण पर व्यय एवं बायो–मेडिकल वेस्ट के निस्तारण सम्बन्धी व्यय आदि।
- फायर सेफ्टी/ पीसीपीएनडीटी/ बायो मेडिकल वेस्ट/ प्रदुषण नियंत्रक/ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट व अन्य अधिनियम के अंतर्गत किया जाने वाला व्यय।
- सदस्य सचिव 1000 रु. तक प्रति बैठ़क के लिए व्यय कर सकते हैं। बैठ़क में चाय नाश्ते पर व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होना चाहिये।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित मदों पर व्यय –

- सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को मानदेय एवं सेवा प्रदाता को देय सर्विस टेक्स इत्यादि।
- बीएसबीवाई काउंटर हेतु कंप्यूटर/प्रिंटर/स्केनर/ बायोमेट्रिक डिवाइस/वेब कैमरा का क्रय एवं उनका रख – रखाव इत्यादि।
- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (बीएसबीवाई) मरीजों हेतु उन दवाइयों की खरीद व जांचों पर व्यय जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना या मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में शामिल नहीं है अथवा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति (V.H.S.N.C)

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी) गांव स्तर पर होती है जो सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गांव स्तर के संस्थान के रूप में कार्य करती है। वी.एच.एस.एन.सी. में पहले 7 सदस्यों का प्रावधान था जिसको जून, 2016 के आदेश में संशोधित कर 15 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इस समिति में आशा कार्यकर्ता सदस्य सचिव एवं संयोजक तथा अध्यक्ष संबंधित गांव की महिला वार्डपंच/सरपंच को बनाये जाने का प्रावधान है।

उद्देश्य:

- समुदाय को स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी पहल के बारे में सूचित करना।
- समुदाय को सुविधाएं उपलब्ध कराना जिसके अंतर्गत वह अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं, अनुभवों और सुविधाओं की पहुंच से संबंधित अपने विचार रख सकें।
- स्वास्थ्य कर्मियों जैसे आशा और अन्य फ्रंटलाइन देखभाल प्रदाताओं को काम में सुविधाएं देना।
- सामाजिक निर्धारकों और सभी सार्वजनिक सेवाओं पर

कार्रवाई करना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करते हैं।

- कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए समुदाय को सक्षम करना और गांव में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना।

समिति का गठन: वी.एच.एस.एन.सी के कार्यों एवं गतिविधियों में सभी वर्गों की प्रभावी भागीदारी रखने के लिए निम्नानुसार उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए:

- समिति में न्यूनतम 15 सदस्य होने चाहिए।
- इसमें से 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।
- राजस्व गांव में सभी श्रेणी के व्यक्तियों जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को वी.एच.एस.एन.सी में इनकी आबादी के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- समुदाय आधारित संगठनों जिनमें स्वयं सहायता समूह, वन प्रबंधन समितियों, युवा समितियों के प्रतिनिधियों का भी उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

समिति के अध्यक्ष एवं सचिव: इस समिति की अध्यक्ष संबंधित गांव की महिला पंच (वार्डपंच) होती है इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। संबंधित गांव में यदि महिला पंच नहीं है तो अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी पंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आशा कार्यकर्ता इस समिति की सदस्य सचिव एवं संयोजक होती है।

समिति को उपलब्ध निर्बन्ध (अनटाईड) राशि एवं बैंक खाता रखरखाव:

- प्रत्येक वी.एच.एस.एन.सी. को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से 10,000 रु. का वार्षिक निर्बन्ध अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- इसके अलावा इस समिति (VHSNC) को अतिरिक्त अनुदान देने के लिए हर गांव स्वतंत्र है।
- इस समिति का बैंक खाता नजदीकी बैंक में खोला जाता है एवं आवंटित राशि को समिति के बैंक खाते में जमा किया जाता है। बैंक खाते से अनुदान राशि निकालने के लिये आशा/स्वास्थ्य लिंक कर्मचारी/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं इस समिति के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
- इस समिति को आवंटित की गयी पूरी राशि, किये गये कार्यों/गतिविधियों और व्यय के रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किये जाते हैं, जिसे सार्वजनिक जांच और ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू/ग्राम पंचायत के निरीक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है।
- डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (DPMU), वी.एच.एस.एन.सी. पर एक डेटाबेस रखती है।

निर्बंध अनुदान (Untied Fund) के उपयोग के लिए दिशानिर्देश: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के दिशानिर्देशों के अनुसार इस राशि का उपयोग निम्न गतिविधियों पर किया जा सकता है:

- सामुदायिक गतिविधियों हेतु इस राशि का उपयोग इस तरह से करना होता है ताकि अधिकतम परिवारों को लाभान्वित किया जा सके।
- स्वच्छता अभियान, स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों, स्वच्छता ड्राइव, आई.सी.डी.एस, आंगनवाड़ी स्तर की गतिविधियों, घरेलू सर्वेक्षण इत्यादि जैसे ग्राम स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों हेतु।
- एक निराश्रित महिला या बेहद गरीब परिवार के असाधारण मामले एवं गरीब बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये भी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है।
- इस अनुदान का उपयोग प्रमुख रुप से पोषण, शिक्षा और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और पर्यावरण संरक्षण में होना चाहिए।
- कुछ सामान्य गतिविधियां जिनके लिए धन पहले से ही उपयोग में लिया गया है जैसे–गांव स्तर के स्वच्छता संबंधी कार्य, स्कूलों में स्वास्थ्य गतिविधियां, आई.सी.डी.एस./आंगनवाड़ी स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों या आंगनवाड़ी की सुविधाओं में सुधार करना, घरेलू सर्वेक्षण कराना, आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस सेवाओं की पहुंच हेतु परिवहन संचार लिंक का निर्माण करना, आईईसी (IEC) सामग्री या नोटिस आदि के प्रकाशन के लिए किया जा सकता है।

आपातकालीन मामलों में यह महत्वपूर्ण है कि समिति के सदस्य सचिव को कम मात्रा अर्थात 1000 रूपये तक का खर्च आवश्यक और तत्काल गतिविधियों पर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए गतिविधि, बिल और वाउचर का ब्यौरा अगली वी.एच.एस.एन.सी. मीटिंग में जमा किया जा सकने का प्रावधान होना चाहिए।

प्रतिबंधित गतिविधियां:

- वी.एच.एस.एन.सी की अनुदान राशि को प्राथमिक रूप से उन कार्यों या गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए पंचायतीराज संस्थाओं या अन्य विभागों के माध्यम से धन आवंटन उपलब्ध है।
- डुप्लिकेशंस/प्रतिलिपी गतिविधियों पर ऐसे अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ परिभाषाएं :

जन्म दर : एक वर्ष में किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मों की संख्या।

मृत्यु दर : एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्यु संख्या।

लिंगानुपात : प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या।

शिशु मृत्यु दर : एक वर्ष में प्रति हजार जीवित जन्मों पर नवजात मौतों की संख्या।

5 साल के अंदर मृत्यु दर : प्रति हजार जीवित जन्मों पर 5 साल की आयु तक शिशु मृत्यु की संख्या।

बजट आवंटन (ब.अ.) : सामान्य रूप से जब प्रतिवर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में सरकार अगले वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करती है तो आगमी वर्ष की आय एवं व्यय के अनुमान प्रस्तुत किया जाते हैं जिन्हें बजट अनुमान के नाम से जाना जाता है।

संशोधित अनुमान (स.अ.) : सरकार प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करने के लगभग 6 माह पश्चात् अर्थात सितंबर–अक्टूबर माह में वित्त विभाग द्वारा 6 माह के आय–व्यय का विश्लेषण किया जाता है एवं इसके आधार पर सरकार बजट अनुमानों (BE) को संशोधित करती है, जिन्हें संशोधित अनुमान (RE) कहा जाता है तथा इन्हें अगले वर्ष के बजट में दिखाया जाता है।

वास्तविक व्यय (वा.व.) : एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आंकड़ों को वास्तविक व्यय (AE) अथवा वास्तविक लेखे के नाम से जाना जाता है।

पीपुल्स बजट इनिशिएटिव (पीबीआई) तथा जन स्वास्थ्य अभियान की साझी कोशिश

जन स्वास्थ्य अभियान : जन स्वास्थ्य अभियान भारत में लोगों के स्वास्थ्य एवं इससे जुड़े नीतिगत एवं अन्य मुद्दों पर कार्य करने वाली संस्थाओं एवं संगठनों का एक समूह है जो स्वास्थ्य व उससे सम्बंधित मुद्दों पर अध्ययन, शोध, पैरवी आदि कार्य करता है। यह अभियान "पीपुल्स हेल्थ मूवमेंट" नाम के एक वैश्विक समूह का हिस्सा है।

www.phmindia.org

पीपुल्स बजट इनिशिएटिव : पीपुल्स बजट इनिशिएटिव (पीबीआई) एक नागरिक समाज गठबंधन है, जो नीतिगत तथा बजट प्रक्रियाओं में जन आंदोलनों, जमीनी संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

www.pbiindia.net

सहयोगी संस्थाएं :

बार्क : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) आस्था की बजट एवं नीतिगत मुद्दों पर कार्य करने वाली इकाई है।

www.barcjaipur.org

प्रयास, चित्तौड़गढ़ : प्रयास एक स्वयं सेवी संस्था है जो लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये राजस्थान समेत कई राज्यों में कार्यरत है। प्रयास का एक मुख्य कार्य स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच रखने वाले समुदायों के लिए स्वास्थ्य के समुदाय आधारित निगरानी के तरीके विकसित करना भी है।

www.prayaschittor.org

People's Budget Initiative

Jan Swasthya Abhiyan
People's Health Movement-India

प्रयास Prayas

शोध एवं विश्लेषण : नेसार अहमद, ऋषि सिंहा, सकील कुरैशी